प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

सेवा में,

डिप्टी रजिस्ट्रार,
प्रधान पीठ, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्याः 5553/ जे0ए0प्रथम / लोहियानगर / एन0जी0टी / 2023 दिनांकः 10-01-2024

विषयः मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–673 / 2023 "Four dead, five injured after in soap factory in Meerut" पर सुनवाई दिनांक 01.11.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–673 / 2023 "Four dead, five injured after in soap factory in Meerut" पर सुनवाई दिनांक 01.11. 2023 कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–673 / 2023 "Four dead, five injured after in soap factory in Meerut" पर सुनवाई दिनांक 01. 11.2023 के अनुपालन के सुसंगत अंश "........6. The report filed by the District Magistrate, Meerut does not disclose the action which has been taken for grant of compensation to the family members of the deceased victims and to ascertain the real cause of the blast in the soap factory. District Magistrate, present in person, seeks further time to file a report in this regard within two weeks.

7. List this matter on 16.01.2024. का उल्लेख कर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.11.2023 का अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के कम में उप श्रमायुक्त मेरठ क्षेत्र मेरठ द्वारा अपनी आख्या पत्रांक–15185–86 / एम0आर0कैम्प–(संघात्मक दुर्घ–23) दिनांक 12.12.2023 उपलब्ध करायी गयी है, जो इस कार्यालय के पत्र सं0–5322 / जे0ए0प्रथम / लोहियानगर / एन0जी0टी0 / 2023 दिनांक 18.12.2023 के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली की सेवा में सादर प्रेषित की जा चुकी है। उप श्रमायुक्त मेरठ द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि जनपद मेरठ के लोहियानर थाना क्षेत्र में दिनांक 17.10.2023 को हुई दुघर्टना में 05 श्रमिकों यथा–1–स्व0 श्री अयोध्याराम पुत्र श्री लल्लनराम, 2–स्व0 श्री सुनील ठाकुर पुत्र श्री योगेन्द्र ठाकुर, 3–स्व0 श्री प्रयाग साह पुत्र श्री बिरेन्द्र साह, 4–स्व0 श्री रूपन सिंह पुत्र श्री सागर साह एंव 5–स्व0 श्री चन्दन पुत्र श्री पिन्टू साह की मृत्यु के बाबत श्रमिको के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 / सहायक श्रमायुक्त, मेरठ द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 10–ए के अन्तर्गत सेवायोजकों 1–श्री गौरव गुप्ता पुत्र श्री विरेन्द्र गुप्ता निवासी–428 / 7 जाग्रति विहार मेरठ, 2–श्री संजय गुप्ता पुत्र श्री राजकुमार गुप्ता एम–307, लोहियानगर, मेरठ को एक माह के अन्दर क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा करने हेतु नोटिस दिनांक 19.10.2023 निर्गत किया गया। सेवायोजक द्वारा उक्त नोटिस का उत्तर प्रस्तुत न करने एवं क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा न करने की दशा में अधिनियम की धारा 10–ए(4) में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में मृतकों के आश्रितों को आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 193 / सहायक श्रमायुक्त, मेरठ द्वारा अपने नोटिस दिनांक 18.11.2023 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना वाद दावा संस्थित कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु परामर्श दे दिया गया है।

इसी कम में उल्लेखनीय है कि श्रम आयुक्त, बिहार (पटना) द्वारा अपने पत्र सं0–1/आई0एम0एल0–19/2023 श्रम संख्या–6309 दिनांक 08.11.2023 के द्वारा जो कि जिलाधिकारी मेरठ को सम्बोधित है तथा जिलाधिकारी मेरठ के पृष्ठांकन संख्या–1625 दिनांक 08.11.2023 के माध्यम से उप श्रमायुक्त को पृष्ठांकित किया गया है। उक्त पत्र में उल्लिखित किया गया है कि मृतकों के आश्रितों को प्रवासी मजदूर दुघर्टना अनुदान योजना, 2008 के तहत अनुदान की राशि का भुगतान किया जाना है परन्तु मृत्यु प्रमाण पत्र की अप्राप्त रहने के कारण आश्रितों को अनुदान राशि देना सम्भव नही हो पा रहा है। इसी कम में आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923/सहायक श्रमायुक्त, मेरठ द्वारा अपने पत्र सं0–14501 दिनांक 25.11.2023 के माध्यम से श्रम आयुक्त, बिहार पटना को पत्र प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि मृत्यु सम्बन्धी प्रमाण पत्र हेतु भारत सरकार के नेशनल गवर्नमेण्ट सर्विसेज पोर्टल पर मृतक आश्रितों द्वारा आनलाइन आवेदन कर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अभीष्ठ है। सहायक श्रमायुक्त मेरठ द्वारा अपने पत्र के साथ 05 मृतकों के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की गयी है।

महोदय इस प्रकार आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923/सहायक श्रमायुक्त, मेरठ द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के विहित प्राविधानों के अन्तर्गत मृतकों के आश्रितों को घटना वाले स्थान अथवा मूल निवास के क्षेत्रान्तर्गत सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद योजित करने हेतु अवगत करा दिया गया है। उक्त के कम में पीडित आश्रित पक्ष द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद योजित करने के उपरान्त ही राहत प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में इस कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही शेष नहीं है।''

उप श्रमायुक्त मेरठ क्षेत्र मेरठ की आख्या की प्रति सादर संलग्न कर प्रेषित है।

जांच समिति की आख्या दिनांक 30.10.2023 के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 17.10.2023 को प्रातः 7:15 बजे घटना के समय विद्युत आपूर्ति उस क्षेत्र में बंद थी, वहां पर रखे किसी कैमिकल में दुर्घटनावश धमाका हो गया, जिसके कारण सम्पूर्ण भवन धराशायी हो गया। वहां से प्राप्त कैमिकल की जांच के लिए नमूना एकत्रित कर आर0एफ0एस0एल0 परीक्षण हेतु प्रयोगशाला ताजगंज रोड आगरा भेजी गयी है। आगरा से आर0एफ0एस0एल0 रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त विस्फोट के कारण में और स्पष्टता आयेगी। प्रभारी निरीक्षक, थाना लोहियानगर, मेरठ की आख्या दिनांक 10–01–2024 के अनुसार मौके से एक सफेद रंग का पाऊडर /पदार्थ मिला था जो कि प्रथम दृष्टया जॉच से पोटेशियम क्लोरेट होना पाया गया, जिसकी पुष्टि हेतु दिनांक 19–10–2023 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला ताजगंज, आगरा परीक्षण के लिए दाखिल किया गया है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण परिणाम शीघ्र प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा तत्कालीन क्षेत्रीय अवर अभियन्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

जांच समिति की आख्या दिनांक 30.10.2023 जो इस कार्यालय के पत्र संख्या–3050/जे0ए0प्रथम/लोहियानगरप0/2023 दिनांक 30.10.2023 के द्वारा संलग्न कर मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

आख्या मय संलग्नको सहित महोदय की सेवा में सादर सम्प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

10/1/2024

(दीपक मीणा)
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

रिपोर्ट, थाना लोहियानगर जनपद मेरठ।

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
जनपद मेरठ।
द्वारा – उचित माध्यम

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि विवेचक – उ0नि0 श्री जावेद हुसैन की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 17.10.2023 की प्रातः लगभग 07.00 बजे थाना लोहिया नगर मेरठ क्षेत्रान्तर्गत सत्यम स्कूल के पास एक मकान संख्याः एम-307 में जोरदार धमाका होने, जिससे मकान मलवे में तब्दील हो जाने तथा मौके पर लोगो के मलबे में दबे होने व घायल होने की सूचना थाना पुलिस को प्राप्त हुई, जिस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके राहत एवं बचाव कार्य शुरु किया गया। इसके अतिरिक्त तत्समय ही मौके पर उच्चाधिकारीगण भी आ गये थे। तथा एस.डी. आर. एफ. फील्ड यूनिट, फायर सर्विस व मेडिकल टीम आदि बुलाया गया तथा मौके पर राहत एवं बचाव कार्य किया गया। घटना स्थल से मलबे से करीब 11 व्यक्ति/घायलों को निकालकर उपचार हेतु मेडिकल टीम की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर आस-पास जानकारी से संज्ञान में आया कि उक्त दो मंजिला मकान संख्याः एम-307 संजय गुप्ता का है, जिसको उनके द्वारा आलोक रस्तौगी को साबुन के गोदाम हेतु किराये पर दे रखा है तथा उक्त मकान के प्रथम तल को गौरव गुप्ता पुत्र योगेन्द्र गुप्ता निवासी म०न०- 42817 सैक्टर- 07 जागृति विहार मेरठ को किराये पर दे रखा था, जिसके द्वारा उक्त हिस्से में प्लास्टिक का सामान बनाने की बात प्रकाश में आयी, परन्तु घटना स्थल से कुछ ज्वलनशील पदार्थो प्राप्त हुये, जिनके नमूने लेकर जांच हेतु एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु भेजा गया है। उक्त घटना के सम्बन्ध में मकान मालिक संजय गुप्ता व किरायेदार गौरव गुप्ता के द्वारा तथ्य छिपाकर कार्य करने व लापरवाही किये जाने के बात प्रकाश में आयी है, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 17.10.2023 को थाना लोहियानगर जनपद मेरठ पर वादी उ0नि0 श्री मुनेश कुमार शर्मा थाना लोहियानगर मेरठ द्वारा मु०अ०स०- 69/2023 धारा 304 / 268/269/285/ 286 भा०द० वि० य 07 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932 बनाम 1. संजय गुप्ता निवासी म०न०-एम-307. लोहियानगर मेरठ व 2- गौरव गुप्ता पुत्र श्री योगेन्द्र गुप्ता निवासी म0न0- 428/7 जाग्रति विहार थाना मेडिकल मेरठ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 जावेद हुसैन के द्वारा सम्पादित की जा रही है। दौराने विवेचना निरीक्षण घटना स्थल, फिल्ड यूनिट टीम द्वारा लिये गये मौके पर प्राप्त पदार्थों के नमूनों की अभिलेखित रिपोर्ट का अवलोकन,

घटना स्थल के फोटोग्राफ आदि साक्ष्यों के क्रम में नामित अभियुक्त गौरव गुप्ता पुत्र योगेन्द्र गुप्ता निवासी 428/7 जाग्रति विहार थाना मेडिकल मेरठ को दिनांक 19.10.2023 की मध्य रात्रि में गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. बयान अंकित किये गये तथा अभियुक्त गौरव गुप्ता की निशानदेही पर एक अदद डाई बरामद हुई, जिससे प्लास्टिक छोटे-छोटे ट्यूब बनाने का कार्य किया जाता था, जिसके बाद अभियुक्त गौरव गुप्ता उपरोक्त को दिनांक 20.10.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर जिलाकारागार में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है । इसके अतिरिक्त उपचार हेतु अस्पताल भेजे गये 11 व्यक्तियों में से 05 व्यक्तियों को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, मृतकों का पंचनामा / पी.एम. की कार्यवाही कराकर, शवो को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया तथा , **मौके से एक सफेद रंग का पाऊडर / पदार्थ मिला था जोकि प्रथम दृष्टतया जांच से पोटेशियम क्लोरेट होना पाया गया, जिसकी पुष्टि हेतू दिनाँक – 19.10.2023 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला ताजगंज आगरा परीक्षण के लिये दाखिल किया गया है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण परीणाम प्राप्त शीघ्र प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।**

रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक – 10.01.2024

10/1/24

(प्रभारी निरीक्षक)

थाना – लोहियानगर, मेरठ

कृष्णपाल सिंह

प्रभारी निरीक्षक

थाना–लोहियानगर (मेरठ)

श्रीमान जी

अग्रसारित है।

क्षेत्राधिकारी कोतवाली

जनपद – मेरठ 10.1.24

1612

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
ओ0ए0नं0 673/2023

प्रेषक,

उप श्रमायुक्त,उ0प्र0,
मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(नगर),
मेरठ।

पत्रॉक 15185-86 /एम0आर0कैम्प–(संघात्मक दुर्घ0–23) दिनॉक 12/12/23

विषयः माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 673/2023 "Four dead, five injured in soap factory in Meerut" पर सुनवाई दिनॉक 01.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आप अपने पत्र संख्या 5182/जे0ए0प्रथम/लोहियानगर/एन0जी0टी0/2023 दिनॉक 04.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 673/2023 "Four dead, five injured in soap factory in Meerut" पर सुनवाई दिनॉक 01.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए है।

उपरोक्त सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में दिनॉक 17.10.2023 को हुई दुघर्टना में 05 श्रमिकों यथा–1–स्व0 अयोध्याराम पुत्र लल्लनराम, 2–स्व0 सुनील ठाकुर पुत्र श्री योगेन्द्र ठाकुर, 3–स्व0 प्रयाग साह पुत्र बिरेन्द्र साह, 4–स्व0 रूपन साह पुत्र सागर साह एवं 5–स्व0 चन्दन पुत्र पिन्टू साह की मृत्यु के बाबत श्रमिको के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923/सहायक श्रमायुक्त, मेरठ द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 10–ए के अन्तर्गत सेवायोजकों 1–श्री गौरव गुप्ता पुत्र श्री विरेन्द्र गुप्ता निवासी–428/7, जाग्रति विहार, मेरठ 2–श्री संजय गुप्ता पुत्र श्री राजकुमार गुप्ता एम–307, लोहियानगर, मेरठ को एक माह के अन्दर क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा करने हेतु नोटिस दिनॉक 19.10.2023 (प्रति संलग्न) निर्गत किया गया। सेवायोजक द्वारा उक्त नोटिस का उत्तर प्रस्तुत न करने एवं क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा न करने की दशा में अधिनियम की धारा 10–ए(4) में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में मृतकों के आश्रितों को आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923/सहायक श्रमायुक्त, मेरठ द्वारा अपने नोटिस दिनॉक 18.11.2023 (प्रति संलग्न) के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना वाद दावा संस्थित कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु परामर्श दे दिया गया है।

इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि श्रम आयुक्त, बिहार(पटना) द्वारा अपने पत्र संख्या–1/आई0एम0एल–19/2023 श्रम संख्या 6309 दिनॉक 08.11.2023 के द्वारा जोकि जिलाधिकारी मेरठ को सम्बोधित है। तथा जिलाधिकारी मेरठ के पृष्ठांकन संख्या 1625 दिनॉक 8.11.2023 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित किया गया है। उक्त पत्र में उल्लिखित किया गया है कि मृतकों के आश्रितों को प्रवासी मजदूर दुघर्टना अनुदान योजना, 2008 के तहत अनुदान की राशि का भुगतान किया जाना है परन्तु मृत्यु प्रमाण पत्र की अप्राप्त रहने के कारण आश्रितों को अनुदान राशि देना सम्भव नहीं हो पा रहा

—2

B-L Report forword to D.M.

2

है। इसी कम में आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923/सहायक श्रमायुक्त, मेरठ द्वारा अपने पत्र संख्या 14501 दिनॉक 25.11.2023 के माध्यम से श्रम आयुक्त, बिहार पटना को पत्र प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया कि मृत्यु सम्बन्धी ———— प्रमाण पत्र हेतु ***भारत सरकार के नेशनल गवर्नमेण्ट सर्विसेज पोर्टल*** पर मृतक आश्रितों द्वारा ऑन्लाइन आवेदन कर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अभीष्ठ् है। सहायक श्रमायुक्त मेरठ द्वारा अपने पत्र के साथ 05 मृतकों के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की गयी है।

महोदय इस प्रकार आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923/सहायक श्रमायुक्त, मेरठ द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के विहित प्राविधानों के अन्तर्गत मृतकों के आश्रितों को घटना वाले स्थान अथवा मूल निवास के क्षेत्रान्तर्गत सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद योजित करने का परामर्श प्रदान कर दिया गया है। उक्त परामर्श के कम में पीडित आश्रित पक्ष द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद योजित करने के उपरान्त ही राहत प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में इस कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(राजीव कुमार सिंह)
उप श्रम आयुक्त,मेरठ क्षेत्र,
मेरठ।

पत्रॉक /उक्त दिनॉक

प्रतिलिपि सहायक निदेशक, कारखाना मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपर जिलाधिकारी नगर, मेरठ के पत्र संख्या 5182/जे0ए0प्रथम/लोहियानगर/एन0जी0टी0/2023 दिनॉक 04.12.2023 (प्रति संलग्न) के कम में प्रकरण में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 673/2023 "Four dead, five injured in soap factory in Meerut" पर सुनवाई दिनॉक 01.11.2023 के अनुपालन में अपने स्तर से आपके विभाग के बिन्दु के सम्बन्ध में वांछित आख्या अपर जिलाधिकारी (नगर), मेरठ को प्रेषित करने का कष्ट करें।

2—प्रतिलिपि उप निदेशक, कारखाना, मेरठ सम्भाग, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न—यथोपरि।

उप श्रम आयुक्त,मेरठ क्षेत्र,
मेरठ।

न्यायालयः कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ।

पत्रांक /एम0आर0 (कैम्प)कर्मचारी क्षतिपूर्ति--2023 दिनांक अक्टूबर, 2023

1–श्री गौरव गुप्ता पुत्र श्री धिरेन्द्र गुप्ता
निवासी–428/7, जागृति विहार, मेरठ।

2–श्री संजय गुप्ता पुत्र श्री राजकुमार गुप्ता
एम–307, लोहियानगर, मेरठ।

::नोटिस::

(अन्तर्गत धारा 10–ए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923)

आपके प्रतिष्ठान/दो मंजिला भवन स्थित एम–307, लोहियानगर थाना–लोहियानगर, मेरठ में दिनांक 17.10.2023 की प्रातः लगभग 07:15 बजे हुए विस्फोट/घटित संघातक दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना लोहियानगर जनपद मेरठ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 05 मजदूर/कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी है तथा 06 अन्य मजदूर/कर्मचारियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्षेत्रीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपनी स्थलीय जॉच आख्या में मृतक कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923 के अन्तर्गत मृतक आश्रितों को प्रतिकर का भुगतान किया जाना आपका दायित्व है। जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क0सं0	मृतक कर्मचारी का नाम/पिता का नाम/पता	कार्य का विवरण /श्रेणी	आयु/घटक अंक (अनुमानित)	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर के अनुसार प्रतिमाह वेतन	संगणित क्षतिपूर्ति धनराशि रू0
01	अयोध्याराम पुत्र लल्लनराम, निवासी–ग्राम कोईल पोस्ट चरपोखरी जिला भोजपुर (बिहार)	अकुशल श्रमिक	40 वर्ष/184.17	10,275/–	9,46,173/–
02	सुनील ठाकुर पुत्र योगेन्द्र ठाकुर निवासी– ग्राम कोईल पोस्ट चरपोखरी जिला भोजपुर (बिहार)	अकुशल श्रमिक	32 वर्ष/203.85	10,275/-	10,47,279/–
03	प्रयाग साह पुत्र बिरेन्द्र साह निवासी– ग्राम कोईल पोस्ट चरपोखरी जिला भोजपुर (बिहार)	अकुशल श्रमिक	21 वर्ष/222.71	10,275/	11,44,173/–
04	रूपन साह पुत्र सागर साह निवासी–ग्राम कोईल पोस्ट चरपोखरी जिला भोजपुर (बिहार)	अकुशल श्रमिक	50 वर्ष/153.09	10,275/	7,86,500/–
05	चन्दन पुत्र पिन्टू निवासी–ग्राम जितौरा पोस्ट पियरो जिला भोजपुर (बिहार)	अकुशल श्रमिक	18 वर्ष/226.38	10,275/	11,63,027/–
			योग		50,87,152/–

अतः **1-श्री गौरव गुप्ता पुत्र श्री विरेन्द्र गुप्ता निवासी–428/7, जागृति विहार, मेरठ एवं 2–श्री संजय गुप्ता पुत्र श्री राजकुमार गुप्ता एम–307, लोहियानगर थाना–लोहियानगर, मेरठ** को एतदद्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल देय प्रतिकर की **धनराशि रू0 50,87,152/–** (शब्दों में रू0 पचास लाख सतासी हजार एक सौ बावन मात्र) एवं दाह संस्कार व्यय प्रत्येक मृतक कर्मचारी रू0 5000/– (कुल रू0 25,000/–) इस प्रकार कुल धनराशि **रू0 51,12,152/–** (शब्दों में रू0 इकावन लाख बारह हजार एक सौ बावन मात्र) एक माह के भीतर उप श्रमायुक्त, मेरठ **के पक्ष मे आहरित एवं मेरठ में देय बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक के माध्यम से** अधोहस्ताक्षरी **के समक्ष जमा कर दें।** जिससे कि मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जा सके। निर्धारित अवधि में धनराशि जमा न किये जाने की दशा में अग्रिम कार्यवाही अपनायी जायेगी।

19.10.2023

(डा0 महेश कुमार पाण्डेय)
कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
/सहायक श्रमायुक्त,मेरठ।

पत्रांक 12516-26 /एम0आर0 (कैम्प)कर्मचारी क्षतिपूर्ति–2023 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– श्रम आयुक्त महोदय उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
2– आयुक्त महोदया, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3– जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।
4– उप श्रमायुक्त महोदय मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
5– उप/सहायक निदेशक कारखाना, मेरठ सम्भाग, मेरठ।
6– लल्लनराम, निवासी–ग्राम कोईल पोस्ट चरपोखरी जिला भोजपुर (बिहार)
7– योगेन्द्र ठाकुर निवासी–ग्राम कोईल पोस्ट चरपोखरी जिला भोजपुर (बिहार)
8– बिरेन्द्र साह निवासी–ग्राम कोईल पोस्ट चरपोखरी जिला भोजपुर (बिहार)
9– सागर साह निवासी–ग्राम कोईल पोस्ट चरपोखरी जिला भोजपुर (बिहार)
10– पिन्टू निवासी–ग्राम जितौरा पोस्ट पिएरो जिला भोजपुर (बिहार

(डा0 महेश कुमार पाण्डेय)
कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
/सहायक श्रमायुक्त,मेरठ।

न्यायालयः कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं सहायक श्रमायुक्त, कार्यालय–उप श्रमायुक्त बेगम ब्रिज रोड, मेरठ क्षेत्र, (उत्तर प्रदेश)।

पत्रांक 62-70 /एम0आर0 (कैम्प)कर्मचारी क्षतिपूर्ति–2023 दिनांक 18 नवम्बर, 2023

::नोटिस::

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 10–ए (4) के अन्तर्गत सूचना

1–श्री लल्लनराम निवासी ग्राम कोईल पोस्ट चरपोखरी जिला भोजपुर (बिहार)
2–श्रीमती गीता पत्नी स्व0 सुनील ठाकुर निवासिनी–ग्राम कोइल, भोजपुर (बिहार)
3–श्री बिरेन्द्र साह निवासी– ग्राम कोईल पोस्ट चरपोखरी जिला भोजपुर (बिहार)
4–श्री सागर साह निवासी ग्राम कोइल, पोस्ट चरपोखरी जिला भोजपुर (बिहार)
5–श्री पिन्टू साह निवासी–ग्राम रुक्टुटोला, पोस्ट जितौरा, रंगल टोला जंगल महल, भोजपुर (बिहार)

R.S.R.

आपको सूचित करना है कि दिनांक 17.10.2023 को प्रातः लगभग 07:15 बजे लोहियानगर, मेरठ में हुए विस्फोट/संघातक दुर्घटना के परिणामस्वरूप आपके पुत्र/पति/परिजन 1–स्व0 अयोध्याराम पुत्र लल्लनराम, स्व0 सुनील ठाकुर, 2–स्व0 सुनील ठाकुर पुत्र योगेन्द्र ठाकुर 3–स्व0 प्रयाग साह पुत्र बिरेन्द्र साह, 4–स्व0 रूपन साह पुत्र सागर साह एवं 5–स्व0 चन्दन पुत्र पिन्टू साह की मृत्यु हो गयी थी। संघातक दुर्घटना के कारण उल्लिखित कर्मचारियों/श्रमिकों की मृत्यु का संज्ञान लेते हुए प्रतिष्ठान के सेवानियोजकों को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा–10 ए (1) के अन्तर्गत नोटिस जारी करते हुए क्षतिपूर्ति धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया। किन्तु सेवायोजकों द्वारा आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 मेरठ के समक्ष क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित अवधि व्यतीत होने बाद भी जमा नहीं की गयी है।

अतः कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा–10–ए (4) के अन्तर्गत आपको संसूचित किया जाता है कि आप अपने निवास से सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट अथवा निकटस्थ सहायक/उप श्रमायुक्त कार्यालय अथवा जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ, सहायक/उप श्रमायुक्त, मेरठ के समक्ष अपना वाद दावा संस्थित करना चाहें, ताकि दावे का नियमानुसार निस्तारण करते हुए क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके।

(डा0 महेश कुमार पाण्डेय)
कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
/सहायक श्रमायुक्त,मेरठ।

पत्रांक 62-70 /एम0आर0 (कैम्प)कर्मचारी क्षतिपूर्ति–2023 दिनांक 18 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
2– श्रम आयुक्त, बिहार पटना।
3– जिलाधिकारी, मेरठ।
4– अपर जिलाधिकारी (नगर), मेरठ।

(डा0 महेश कुमार पाण्डेय)
कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
/सहायक श्रमायुक्त,मेरठ।

प्रेषक,

उप श्रमायुक्त,उत्तर प्रदेश

मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

सेवा में,

श्रम आयुक्त, बिहार

पटना।

पत्रांक /एम0आर0कैम्प–(संघात्कं दुर्घ0–23) दिनांक नवम्बर, 2023

विषयः **मेरठ, उ0प्र0 में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के कारण घटित संघातक दुर्घटना में 05 प्रवासी (बिहार) श्रमिकों की मृत्यु के उपरान्त मृत्यु प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक–1/आई0एम0एल0–19/2023, श्रम संख्या 6309 पटना दिनांक 08.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोहियानगर, मेरठ उत्तर प्रदेश के साबुन–पटाखा फैक्ट्री में दिनांक 17.10.2023 को हुए विस्फोट के कारण बिहार के 05 प्रवासी श्रमिकों 1–स्व0 सुनील ठाकुर पुत्र जोगिन्द्र ठाकुर, 2–स्व0 रूपन साह पुत्र सागर साह, 3–स्व0 प्रयाग साह पुत्र विरेन्द्र साह, 4–स्व0 अयोध्या रजवार पुत्र स्व0 ललन रजवार एवं स्व0 चंदन कुमार पुत्र पिन्टु साह की मृत्यु हुई थी। आपके द्वारा उक्त मृतक श्रमिकों के मृत्यु प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के कम में दुर्घटना में मृतक पॉचों श्रमिकों के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन है कि मृत्यु सम्बन्धी प्रमाण–पत्र हेतु भारत सरकार के नेशनल गवर्नमेण्ट सर्विसेज पोर्टल पर मृतक आश्रितों द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर मृत्यु प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अभीष्ट है।

संलग्न- उक्त।

भवदीय,

(डा0 महेश कुमार पाण्डेय)
सहायक श्रमायुक्त,
कृते उप श्रमायुक्त,उ0प्र0,
मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक 1450-03 /एम0आर0कैम्प–(संघात्कं दुर्घ0–23) दिनांक 25 नवम्बर, 2023

प्रतिलिपिः– 1–जिलाधिकारी महोदय मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–अपर जिलाधिकारी (नगर), मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 महेश कुमार पाण्डेय)
सहायक श्रमायुक्त,
कृते उप श्रमायुक्त,उ0प्र0,
मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

9c